मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2014 (फाल्गुन 12, 1935)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री भीम सिंह पटेल, भूतपूर्व संसद सदस्य,
(2) श्रीमती कांता पारेख, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री रामभजन पट्टा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री रमाशंकर भारद्वाज, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(5) श्री लल्लू सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(6) श्री गुलाबचंद तामोट, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, तथा
(8) श्री बंगारू लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2007-2008 (दिनांक 1.4.2007 से दिनांक 31.3.2008 तक) पटल पर रखेंगे.

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2009-2010 वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2010 के लिए, पटल पर रखेंगी.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री -

- (क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 3232-मप्रविनिआ-2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, तथा
- (ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -
  - (i) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2012-13 (1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013),
  - (ii) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, तथा
  - (iii) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2012-13 द्विभाषीय संस्करण,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 338-क की कंडिका (7) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रिपोर्टों की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 तथा 2007-08 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन वर्ष 2012-2013, तथा

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2011-2012,

पटल पर रखेंगे.

(7) श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्य मंत्री पर्यटन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल नगर में अवैध कालोनियों में विकास कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ट्रांसफार्मर जले होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. सभापति तालिका की घोषणा.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अनिल फिरोजिया, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम रेहवारी से दुपाड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(2) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के -
(क) ग्राम गोहावल की माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम हंतला की माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम सुरमा की माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(घ) ग्राम नदावन के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ङ) ग्राम जगुवा की माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(च) ग्राम खिरवा नं. 2 की माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(3) श्री हितेन्द्रसिंह ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के नगर बड़वाह में आई.टी.आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) की स्वीकृति कराये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

8. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए निर्वाचन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन

श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2014-2015 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

10. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो".

11. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों".

12. वर्ष 2013-2014 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2013-2014 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

13. वर्ष 2014-2015 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2014-2015 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन करेंगे.

14. वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन करेंगे.

15. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाले के कारण फसलों की क्षति होने के संबंध में सर्वश्री सत्यदेव कटारे, संजय पाठक तथा महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 2 मार्च, 2014

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा